संख्या-५37५ /नौ-1-11-71सा ७२०१०

Beer red today 1994,

विपिन कुमार द्विवेदी विशेष सचिव उ०प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2011

ul OD 15210

विषयः उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 का प्रख्यापन।

महोदय,

AS, II

25/11/11

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दोनों नियमावलियों को अपने स्तर से समस्त नागर निकायों को तत्काल प्रेषित भी कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

mico 24.11.11 (विपिन कुमार द्विवेदी) विशेष सचिव।

संख्या: 4374 (1)/9.1.11, तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) 32 स्टेशन रोड़, लखनऊ।

Manish GO

उत्तर प्रदेश शासन ं नगर विकास अनुभाग-1 संख्या-4 348 / 9.1.11-70सा० / 2011 लखनर्फः दिनांक २५ नवम्बर, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा—7 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा—540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम 1959 की धारा 540 की उप—धारा (2) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या : 1727 / 9.1.11 — 70सा / 2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

> उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम ,लागू होना और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर ु निगम, (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

नियम—५ का संशोधन

की सुद्दे गार है। इस अध्यक्तिमार गोर्क

्रिक्षण-इंग्लिक्ट महिला संबद्ध कर है.

THE PARTY OF S

2- उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 के नियम 5 में नीचे स्तम्म-1 में दिए गए उप नियम-1 के स्थान पर स्तम्म-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः 🕂

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

निगम में, विभिन्न कक्षों को एतद्पश्चात् विभिन्न कक्षों को एतद्पश्चात् उपबन्धित उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:- रीति से आवंटित की जायेगी:-

(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के (1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर स्थानों की संख्या किसी नगर निगम में,

- 2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, उ०प्र0, लखनऊ।
- 5. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र0, लखनऊ।
- 6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार द्विवेदी) विशेष सचिव।

(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर निगम के कक्षों को अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किया गया है को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आरोही कम् में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित क्री जायेगी हार्य की महिलाओं के हिं

परन्तु वह कक्ष, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान आंवटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आंवटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित हों

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित

(क) पहले नगर निगम क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर निगम के कक्षों को अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा।

पंरतु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

100 Stanfill His Property

aligan signis i ya ay wan bisu m

The second of the second

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम—4 के उप—िनयम (3) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलत करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित स्थानों की

अनुसूचित जनजातियों की जिनमें अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किये गये थे, को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही कम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पहले स्थान आंवटित किया गया था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आंवटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हों ;

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये है, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किये गये थे, को पिछडे वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही कम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछडे वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारितः स्थानों की संख्या को, बाह्य कर्म व्यवस्थान के वार्वा पुनर्व्यवस्थितः किये गये कक्षों को पहले हैं है है है कि विकार है कि उन्हें कि

input the statement (2) of the latest the first transfer for the companies of the first

स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगाः परंतु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

> (ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये है। कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गों की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगाः

Same and State and the same of

परंतु यह कि ऐसे कक्षों को पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

AND A COURT THE STATE OF A CASE SELECTION

आवंटित किया जायेगाः

जिसमें किसी परन्त् वह कक्ष, निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए स्थान आंवटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछडे वर्गों की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आंवटित किया जायेगा जिसमें पिछडे वर्गों के लिए स्थान आरक्षित हों ;

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही कम में व्यवस्थित किया जायगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (3) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायगा और नियम-4 के उप-नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गी की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (4) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा।

supreme the high plant will be the

परन्तु वह कक्ष जिसमें इस खण्ड के अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं को स्थान आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को नहीं आवंटित किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आवंटित ि किया जायेगा।

and the second of the second s

er on the state with a second

स्पष्टीकरणः इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कक्षों की इस रीति से अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा कि नगर निगम क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के सबसे अधिक जनसंख्या वाले कक्ष को पहले रखा जायेगा और ऐसी अनुसूचित जातियों, जनजातियों या वर्गों की पहले कक्ष से कम जनसंख्या वाले कक्ष को उसके बाद रखा जायेगा और इसी प्रकार आगे भी और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए नगर निगम क्षेत्र में कक्षों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए समान रीति से कक्षों को व्यवस्थित किया जायेगा।

UTTAR PRADESH SHASAN NAGAR VIKAS ANUBHAG-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4248 70SA/2011, dated November 24, 2011.

No. 4348/9-1-2011-70SA/2011 Dated Lucknow: November 24, 2011

In exercise of the powers under section 540 read with section 7 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959), and section (2) of section 23 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act no. 1 of 1904), the Governor, after considering the objections and suggestions received in pursuance of order published in Government notification no. 1727 /9-1-2011-70SA/2011, September 26, 2011 as required under sub-section [2] of section 540 of the said Act of 1959, is pleased to make the following rules with a view to amending the the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Reservation and Allotment of Seats and offices) Rules, 1994:-

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (RESERVATION AND ALLOTMENT OFFICES)(SIXTH AMENDMENT) RULES, 2011

Short title, application and commencement

与我们系统规划。实际企

Exemple to the second

Write of the commerce anales

Marga Minucipal Commi

Scaling Completions

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

and the file of the contraction in second

ACLESSO TO THE SECRET.

HILLS ALK LALV

adali o drasslatios ma

- 1.(1) These rules may be call the Uttar Pradesh Municia Corporation (Reservation a Allotment of Seats and Office (Sixth Amendment) Rules. 20
- (2) They shall be applicable to: the Municipal Corporations Uttar Pradesh.
- (3) They shall be come into for with effect from the date of the

Amendment of rule-5

publication in the Gazette

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in rule-5 for sub rule (1) set out in column-I below, the sub-rule as set out in column-II. shall be substituted, namely:-

COLUMN-I Existing sub-rule

pit has culture colories of the

de phailthe sabathachtall namel

the subscrib as service in concerns

COLUMN-II sub-rule as hereby substituted

1["5. Allotment of Seats.-(1) Subject to the provisions of other sub- rules, the number of seats determined under Rule 4 wards in a Municipal hereinafter provided-Corporation in the manner hereinafter provided-

(1) Subject to the provisions of other sub-rules, the number of seats determined under rule 4 shall be allotted to different wards in a shall be allotted to different Municipal Corporation in the manner

wards of the the (a) Municipal Corporation shall arranged first accordance with population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to

such wards which have the

(a) the wards of the Municipal Corporation shall be first arranged in accordance with the population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Castes in the municipal area.

THE WAR TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

(ड़) ऐसे कक्ष जिनमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को स्थान आवंटित किये गये थे, अगले होने वाले निर्वाचन में कमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को आवंटित नहीं किए जायेंगें और अनुवर्ती निर्वाचनों में कक्षों के स्थानों का आवंटन खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में संदर्भित कमानुसार चकानुकम में किया जायेगा।

आझा स,

्रिमुख सचिव।

under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Scheduled Castes and the number of seats determined more belonging to the for the women belonging to the women belonging to the Scheduled Castes shall be first allotted to such wards so rearranged;

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Castes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Castes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Castes:

(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Tribes. including the number of seats determined under sub-

largest population of the Provided that such wards Scheduled Castes in the shall be first allotted to the women municipal area and the wards belonging to the Scheduled to which the seats so allotted Castes:

garang Prohided their s

estrible treatment of the

And Stransfer Stransfer Stransfer Stransfer

(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women. belonging to the Scheduled Tribes,

rule (2) of the said rule for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Scheduled Tribes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Tribes shall be first allotted to such wards so rearranged: alloller by such ward. When

river promination of

r seits rueremped cerae velenang io

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Tribes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Tribes:

(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a) and (b), shall then be arranged in accordance with the population of the Backward Classes in the municipal area

shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area:

Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;

AND THE PROPERTY OF THE SAME

growing Christian and Telegraph

chelinieschenskii la.

a decade remarked with a to

staff 9.25 ps. Atomore

hangstorest various and

(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a) and (b), shall then be arranged in accordance with the population of the backward classe in the municipal area is descending order and the number

- 5.

in descending order and the number of seats determined under sub-rule (2) of Rule 4 for the Backward Classes, including the number of seats determined under subrule (2) of the said rule for the women, belonging to the Backward Classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Backward Classes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Backward Classes and the number of seats determined for the women belonging to the Backward Classes shall be first allotted to such wards so rearranged:

Legaro aetermoralistico

Mark Charles Williams

Action to an beginning

ulius angun is distanti

Allanas Salahay Araba A

KAN JULISSES FRE LINES TO K

Representation of the control of the

Herman - Profit Charles

tally on the drawing of

British a temperatural design of the

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Backward Classes shall not be allotted to the women belonging to the Backward Classes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Backward Classes:

(d) the wards, excluding those to which seats have

of seats determined under sub-rule (2) of Rule 4 for the backward classes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women, belonging to the backward classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the backward classes in the municipal area.

Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the backward classes;

(2):01 Russia Terrain, regressy

dasses including the sumer of a

scats eductionned ander had was

inde longing in the hock are for the seco

tach be allowed in the little

which en such a contact the

the state of all as

veren, der i Franze, das

Bear the emberide for the station and

(d) the wards, excluding those to which seats have been allotted under

rules for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes, shall be first allotted in such in it williams in the wards:

Officers, and series who would

on exclusing to

setting in earth and the

THE STATE OF STREET

duled Tulkes and S

Provided that the wards wherein the seat allotted in any election to the women under this clause shall not be allotted to the women under this clause in the election immediately succeeding it and shall be allotted in the next ward.

which the chount of rectal space

VIJAN SAUS GURALI

been allotted under clauses clauses (a), (b) and (c), shall then be (a), (b) and (c), shall then be arranged in accordance with the arranged in accordance with population of the wards in the the population of the wards municipal area in descending order in the municipal area in and the number of seats determined ascending order and the under sub-rule (4) of rule 4 for the number of seats determined women, excluding the number of under sub-rule (3) of rule 4 seats determined under sub-rule (3) for the women, excluding the of the said rules for the women, number of seats determined belonging to the Scheduled Castes, under sub-rule (2) of the said Scheduled Tribes and the backward classes, shall be first allotted in such wards:

er geggdagebegakerakerackt ve hogest

addications of the unitarity of

delicanos baras las composas

ender habetales and metal

overdieranjeven urch:

THE THE STATE OF STATE OF

radules Prilling significa-

is shall be brasslaw

a native count of the parties contained by

Explanation: - For the purposes of clause [a],[b] and [c] of this sub-rule, the arrangement of wards in descending order shall be done in the manner that the ward having the largest population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be, in the municipal area shall be placed first and ward having lesser population Scheduled Castes, the Scheduled

sand to specify a clause of a stack wards because

to permission as a security in view the popular and a

harmonempassary and the march an the marchine paragraps

halve themes, the is Custon, the Sich cults with the

to 14 or the aventh clashackward classes as that come,

Tally too is set, it is not shed an eliveralistic distance to

de la principa e que esta en la desperación descripción de la contraction de la cont

specificants. Securities subjects to the content of the securities of the securities

Tribes or the backward classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of clause [d], the wards shall be arranged in the like manner keeping in view the population of the wards in the municipal area.

The wards wherein the seat (e) allotted in any election to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women shall not be allotted in the next following election respectively to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women and the seats to the wards in subsequent elections shall be allotted in cyclic order in the order referred to in clauses (a), (b), (c) and (d).

By Order.

(Durga Shanker Mishra)
Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग–1 संख्या–4349/9.1.11–71सा०/2011 लखनऊ: दिनांक 24, नवम्बर, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 9—क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा—296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम 1916 की धारा 300 की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या : 1728/9.1.11—71सा/2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आव्टन) नियमावली, 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम ,लागू होना और प्रारम्भ

- 1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।
- (2) यह उत्तर प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं पर लागू होगी।
- (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

नियम—५ का संशोधन

2— उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ—1 में दिए गए उप नियम—1 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ-एक विद्यमान उपनियम

(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर पालिका में, विभिन्न कक्षों को एतद्पश्चात्

स्तम्भ—दो <u>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित</u> उपनियम

(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम—4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर पालिका में, विभिन्न कक्षों को एतद्पश्चात्

उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:-

उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:-

(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अनुसार नगर पालिका के कक्षों अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थानों को अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आरोही कम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी :

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान आंवटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आंवटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित स्थानों की

पहले नगर पालिका क्षेत्रों में (क) अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर पालिका के कक्षों को अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगाः

परंतु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित संख्या को ऐसे कक्षों की जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थान को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आरोही कम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी :

and the most interes

gitt Greek Greek

व्यक्तिक विकास विकास

the out fright

enthick reaming

सर्वे के के किए किए किए कि

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्थान आंवटित था में निर्वाचन अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सार्वा किया है । वाले आवंटित नहीं किये जायेगें और ऐसे अगले कक्षा को आंवटित किया जायेगा जिसमें प्राप्ति का किस है है है है है है अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हों ; प्रकार आवित

gereing votellieb.

ा (ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्डः (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये। गये है। कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गी के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, को जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थानों को पिछडे वर्गों की महिलाओं की जनसंख्या के आरोही कम में किया जायेगा। जपुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछडे वार्वाटन प्राप्त करा वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित ास्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये 🕏 अनुसार कार्यक्ष दिन्दा अवस्ता चार विस्पार व ऐसे कक्षों को पहले आवंदित की जायेगी;

्रिक्यपरन्तु उस कक्षांको, जिसमें किसी अने अंगर पिन्ही वर्ष के क्रिक जार स्थान प्रमाण के स्थान है। स्थान कर्त किया है वर्त के स्थान कराता है

ा दिवस्तात्रकांत्र । प्राप्त कार्योक्ति व प्राप्त प्रमुख्ये । विवद्य प्राप्तात्र स्था वी प्र

mande des Eller de del como de final de como de la como

engalebaa isibi gwaxay a tau Complete the Section of the Section of

स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों की जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा।

परंतु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

नुसद्भा जन्मकित की शहर (ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये है। कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगाः

CALEDON SHOW

परंतु यह कि ऐसे कक्षों को पहले पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवटित

व्यक्तिया यात्र व निक्रके नागी

निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए स्थान आंवटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आंवटित किया जायेगा जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान

आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही कम में व्यवस्थित किया अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (3) छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (4) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा

परन्तु उस कक्ष को जिसमें इस खण्ड के अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित स्थान था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा।

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

स्पष्टीकरणः इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कक्षों को इस रीति से अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा कि नगर पालिका क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गी के सबसे अधिक जनसंख्या वाले कक्ष को पहले रखा जायेगा और ऐसी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की पहले कक्ष से कम जनसंख्या वाले कक्ष को उसके बाद रखा जायेगा और इसी प्रकार आगे भी और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका क्षेत्र में कक्षों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए समान रीति से कक्षों को व्यवस्थित किया

जायेगा।

(इ) ऐसे कक्ष जिनमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को स्थान आवंटित किये गये थे, अगले होने वाले निर्वाचन में कमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को आवंटित नहीं किए जायेंगें और अनुवर्ती निर्वाचनों में कक्षों के स्थानों का आवंटन खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में संदर्भित कमानुसार चकानुकम में किया जायेगा।

(दुर्गा शंकेर मिश्र) प्रमुख सचिव।

From But Ma

7

UTTAR PRADESH SHASAN NAGAR VIKAS ANUBHAG-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.4349 /9-1-2011-70SA/2011, dated November 24, 2011.

No. 4349 /9-1-2011-71SA/2011 Dated Lucknow: November 24, 2011

In exercise of the powers under section 296 read with section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), and sub-section (2) of section 23 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act no. 1 of 1904), the Governor, after considering the objections and suggestions received in pursuance of order published in Government notification no. 1728 /9-1-2011-71SA/2011, dated September 26, 2011 as required under section 300 of the said Act of 1916, is pleased to make the following rules with a view to amending the the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and offices) Rules, 1994:-

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (RESERVATION AND ALLOTMENT OF SEATS AND OFFICES) (SIXTH AMENDMENT) RULES 2011

AND ALLOTMANTER WAS STAD

Short title, application and commencement

esidering the animalist of

Michigan Control of the Control of t

andtha the day U a

Allotiness of Seats and Seate

Jule Stanfelblack

- 1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and Offices) (Sixth Amendment) Rules, 2011
- (2) They shall be applicable to all the Municipalities in Uttar Pradesh.
- (3) They shall be come into force

Amendment of rule-5

with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in rule-5 for sub rule (I) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-II, shall be substituted, namely :-

COLUMN-I Existing sub-rule

COLUMN-II Sub-rule as hereby substituted

- other sub-rules, the number of seats determined under Rule 4 shall be allotted to different wards in a Municipality in the manner hereinafter provided-
- (1) Subject to the provisions of (1) Subject to the provisions of other sub-rules, the number of seats determined under rule 4 shall be allotted to different wards in a manner Municipality in the hereinafter provided
 - the of wards the (a) first Municipality shall be arranged in accordance with the Scheduled population of the Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Castes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in

resconding house

the Soulidated C

thodel and villa

incell still the little of

His remover of sense in trainings

(a) the wards of the Municipality shall be first arranged in accordance with the population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women Scheduled belonging to the Castes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Castes in the municipal area.

Provided that such wards shall be first allotted to the the to belonging women Mac ship

the ascending order of the population of the Scheduled Castes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Castes shall be first allotted to such wards so rearranged;

maraber of seas

first allested with

Three the example.

Castes shall non-

Schedulush

shed with

est allotted in any

successione is and

id to the need watch?

end some has de-

Bay Chara allotted

Hade Schoolege

wides (find an time)

of telephicants considered

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Castes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Castes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Castes:

belong the

(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in

PERMINE A CONTRACT

Constant surrence of the R of the second mine tach trigger, sind the same

one interest of strikers to this

will be substituted to be the

Scheduled Castes:

. School von Contest

(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under subrule (1) of rule 4 for Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women, belonging to Scheduled Tribes, shall be allotted to such wards which have the population of largest Scheduled Tribes in the municipal

Provided that such wards shall be first allotted to the women

Schoole Library i

anie mie i it of ind soo

the ascending order of the population of the Scheduled Tribes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Tribes shall be first allotted to such wards so rearranged:

that the ward Provided wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Tribes shall not allotted to the women belonging to the Scheduled the election Tribes in immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Tribes:

behilishin makala

TARREST TO

(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a) and (b) shall then be arranged in accordance with the population of the Backward Classes in municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the backward classes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women, belonging to the backward classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the backward classes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall manufactures and proposition

ericanguagi are necusireisi segus ricarsino de unacreadore de islati ricarsiniais como en español de islati Tamisticais españolas en español

diverginal section of

belonging to the Scheduled Tribes;

(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clause (a) and (b), shall then be arranged in accordance the population of the backward classes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (2) of rule 4 for the backward classes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the belonging to women, backward classes, shall be allotted to such wards which have the of largest population backward classes in the municipal area.

bajengi waki wa kitari salimua 13 ma mana

mineral Commence

Provided that such wards shall be first allotted to the women

on the same the said his

5.

be rearranged in the ascending order of the population of the Backward Classes and the number of seats determined for the women belonging to the Backward Classes shall be first allotted to such wards so rearranged:

projugation of the

are determined to

asses shall be fire

seat allough in an

ickward classes sha

the backward chasse.

the next wand havin

este for the backwal

a franciscon allest

sec (a), (b) and

h ha avenue

sense desentable

ar Pilat Louis (Carrier

init ledinter

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the backward classes shall not be allotted to the women belonging to the backward classes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the backward classes:

(d) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clauses (a), (b) and (c), shall then be arranged accordance with the population of the wards in the municipal area in ascending order and the number of seats determained under sub-rule (3) of rule 4 for the women, excluding number of seats determined under sub-rule (2) of the said rules for the women, belonging Scheduled Castes, the to Tribes and the Scheduled Backward Classes, shall be first allotted in such wards;

Provided that the ward wherein the seat allotted in any

belonging to the Backward Classes;

Ametropical Allegation value

iding interested to the agency of the

the wards, excluding those to (d) which seats have been allotted under clauses (a), (b) and (c), shall then be arranged in accordance with the population of the wards in the municipal area in descending order and the number of seats determained under sub-rule (4) of rule 4 for the women, excluding the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rules for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the backward classes, shall be first allotted in such wards:

clause (1) (b) said be).

mmietyd are lidde

payautican co

election to the women under this clause shall not be allotted to the women under this clause in the election immediately succeeding it and shall be allotted in the next ward.

vidanather the discount our

of clauses has the and follows to is

Wards in desgendages order slight

he done in the manner that the

obpulacións catocalas a Scheducal

astes, the hologophical Labos or

the back consincting es, as the cuse

may be but the manicipal a se

shall be migged, fact and sverd

Schedules - Casteria. Schools et

Tribes Office Research d . lac

arran in indipine the intal

RECEIPT TANKEY AND PROPERTY

incall in Some in Spalare

person at the

HAR HARRY STARTS

Explanation: - For the purposes of clause [a],[b] and [c] of this sub-rule, the arrangement wards in descending order shall be done in the manner that the having the largest ward population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be, in the municipal area shall be placed first and ward having lesser population Scheduled Castes, Schedu ed Tribes or the backward classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of clause [d], the wards shall be arranged in the like manner keeping in view the population of the wards in the municipal area

ice evolutions in a Company of the

(e) The wards wherein the seat allotted in any election to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women shall not be allotted in the next following election respectively to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women and the seats to the wards in subsequent elections

shall be allotted in cyclic order in the order referred to in clauses (a),(b), (c) and (d).

By Order

(Durga Shanker Mishra) Pramukh Sachiv.

anan och Roted die eteb. me meter deleganste

spalleke Meried en rycke ode Tyrke order telepten te he de

in the

Cauga Shanker Mastra

Produkt Sadio

and the second

(Dugge Eranker Mish Tromach Sadar